न्यायालय :– अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2, जोधपुर महानगर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजेन्द्र बाहेती बनाम मैसर्स क्वालिटी कन्ड्यूट प्रा.लि. व अन्य दीवानी मूल वाद संख्या – 03/2025, एनसीवी नं. 11628/2014	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.10.2025	अधिवक्ता उभय पक्षकारान् उपस्थित। **इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 19.08.2025 अंतर्गत आदेश 14 नियम 5 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते डिलिट करने विवाद्यक संख्या 4 का निस्तारण किया जा रहा है।** वादी की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांकित 19.08.2025 अंतर्गत आदेश 14 नियम 5 सपठित धारा 151 सीपीसी इस आशय का पेश किया गया कि विवाद्यक संख्या 4 बनाया गया है कि "आया विवादित संपत्ति में ऋण वसूली अधिकरण के अधीन कार्यवाही किए जाने से दावा चलने योग्य नहीं है।" उक्त विवाद्यक से परिलक्षित होता है कि पत्रावली पर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा अपने जवाब दावे में ली गई आपत्ति के आधार पर ही उक्त विवाद्यक कायम किया गया है। आदेश दिनांक 17.04.2013 के द्वारा हस्तगत वाद की प्रतिवादियों की सूची में से प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को प्रतिवादी से डिलिट किया जा चुका है, अतः ऐसे में हस्तगत वाद में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ही रहते हैं। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 पक्षकार ही नहीं रहते हैं। वर्तमान वाद संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का है, अतः वर्तमान वाद भी प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के विरुद्ध इस न्यायालय में पोषणीय है। ऋण वसूली हेतु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरुद्ध की गई तमाम ऋण की राशि का चुकता वादी द्वारा कर दिया गया है। अतः अब कोई ऋण वसूली की कार्यवाही विचाराधीन भी नहीं है। अतः ऐसे में विवाद्यक संख्या 4 को डिलिट किया जाए। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा इस प्रकार दिया गया कि न्यायालय द्वारा वादी व प्रतिवादीगण के अभिवचनों को देखते हुए विधिनुसार विवाद्यक बनाए गए हैं। वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में गवाह का शपथ पत्र भी पेश किया जा चुका है व दस्तावेज भी प्रदर्शित किए जा चुके हैं। प्रतिवादी द्वारा विवाद्यक संख्या 4 को प्रारंभिक स्तर पर तय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके जवाब देने के बाद यह प्रार्थना पत्र उक्त प्रार्थना पत्र को बाधित करने की नीयत से पेश किया गया है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 व अन्य के विरुद्ध न्यायालय में अवमानना कार्यवाही भी विचाराधीन है। वादी द्वारा विनिर्दिष्ट अनुपालना के लिए कोई नोटिस प्रतिवादीगण को प्रेषित नहीं किया गया। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को कोई भुगतान नहीं किया गया है व तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि उक्त सभी विवाद आरडीडीबी अधिनियम 1993 एवं सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत् कार्यवाही हो रही है, जो उसके अधीन विचाराधीन है और ऐसी स्थिति में उक्त विवाद्यक संख्या 4 को विलोपित नहीं कर	

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या. 2, जोधपुर महानगर

कानूनी रूप से सर्वप्रथम स्तर पर तय किया जाना आवश्यक है। अतः ऐसे में उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वादी द्वारा अपने दावे में ही कथन किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादी को यह बताया कि उनके पक्ष में स्ट्रीप लैण्ड के अलावा शेष भूमि का लीज डीड दिनांक 14.02.1972 को रिको द्वारा विधिवत रूप से जारी की जा चुकी है। इसके अलावा यह भी बताया कि उन्होंने प्रतिवादी संख्या 4 व 5 से अपने व्यवसाय हेतु ऋण लिया था और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा रुपये 10,000/– की अवधि ऋण सुविधा व रुपये 10,000/– तक की Cash Credit (Hypothication) सुविधा स्वीकार करवाई थी। उन्होंने यह भी बताया कि उनमें बैंक की कुल रुपये 26,45,000/– की देनदारी बकाया है और उन्होंने मूल लीजडीड दिनांक 14.02.1972 प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पास साम्यक बंधक रखने के उद्देश्य से जमा करवाई है और विवादित जायदाद की मूल लीजडीड दिनांक 14.02.1972 प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पास साम्यक बंधक जमा है।

जिस संबंध में प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। उक्त दोनों प्रतिवादीगण को न्यायालय के आदेश दिनांक 17.04.2013 द्वारा पक्षकार के रूप में से हटाया जा चुका है। पत्रावली पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का जवाब दावा भी अवस्थित है। जिसमें उक्त प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से प्रारंभिक आपत्तियों में यह अंकन किया है कि क्योंकि वास्तविकता यह है कि वादी को यह ज्ञान था कि प्रतिवादीगण संख्या 1 स 3 की संपत्ति बैंक के पास बंधकशुदा रखी हुई है जिसे बैंक द्वारा सिक्यूरीटाईजेशन एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए दिनांक 11.10.2007 को एक नोटिस अंतर्गत धारा 13(4) के तहत जारी कर संपत्ति का कब्जा बैंक द्वारा प्राप्त कर लिया गया था तथा दिनांक 12.10.2007 को एक अन्य नोटिस अंतर्गत धारा 13(6) के तहत जारी कर वादग्रस्त संपत्ति से संबंधित सभी अधिकार बैंक में निहित हो गए थे। आगे अपने जवाब दावे में उक्त प्रतिवादीगण द्वारा यह अंकन किया गया है कि वादी जिस इकरारनामा की पालना करवाने बाबत बिना तत्परता दिखाते हुए हस्तगत वाद लाया है एवं जिस संपत्ति के लिए आया है वह वादग्रस्त संपत्ति शुरू से ही बैंक के पास रहन थी जिसकी जानकारी वादी को पूर्व से ही थी। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने सिक्योरिटाईजेशन एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए वादग्रस्त संपत्ति का बेचान कर दिया है और इस बेचाननामे को वादी द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है।

इस प्रकार न्यायालय द्वारा केवल प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के जवाब दावे के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त विवाद्यक नहीं बनाया गया है, अपितु वादी व समस्त प्रतिवादीगण के अभिवचनों पर

Mani 8/9 28.10.25

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या 2, जोधपुर महानगर

विचार किया जाकर उक्त बिंदु कायम किया गया है। अतः ऐसे में उक्त विवाद्यक को डिलिट किए जाने का कोई औचित्य इस न्यायालय को प्रतीत नहीं होता है।

अतः वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 5 सपठित धारा 151 सीपीसी, अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी दिनांक 14/10/25 को पेश हो।

Manish
08-10.25
(मनीषा शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 02,
जोधपुर महानगर।